

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी—प्रथम, समस्तीपुर

सी०आर० नं० 1824 / 2022

31.08.23 परिवादी अनुपस्थित है। वाद का पुकार किया गया। बार—बार पुकार पर परिवादी तथा उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि प्रस्तुत वाद परिवादी के शपथ पर बयान हेतु निर्धारित है एवं दिनांक 04.11.22 से शपथ पर बयान हेतु लंबित चला आ रहा है। परिवादी स्वयं भी अनुपस्थित चले आ रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है, कि परिवादी को अब इस वाद में कोई रुची नहीं रह गयी है तथा अभिलेख पर आगे की कार्यवाही हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अतः न्यायहित में प्रस्तुत परिवाद पत्र को धारा—203 द.प्र.स. के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार इस अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

अ०मु०न्या०दण्डा०—प्रथम